**(घ) टैन में परिवर्तन के लिए अनुरोध →**

**https://tin.tin.nsdl.com/tan/InstructionsTanChangeRequest.html**

**आबंटित टैन के टैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए फॉर्म' भरने के लिए अनुदेश**

**क) निर्दिष्ट स्थान में 10 अंकों के टैन का सही प्रकार से उल्लेख करें।**

ख) बायें अंगूठे का निशान, यदि लगाया जाता है, किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक सील या मुहर के अधीन अनुप्रमाणित होना चाहिए।

ग) टैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए फॉर्म में सभी कॉलमों को भरे और **उपयुक्त पंक्ति के बायें मार्जिन में बॉक्स को टिक करें जहां परिवर्तन / संशोधन अपेक्षित है।**

घ) कृपया उस टैन का प्रमाण प्रस्तुत करें जिसके विवरण में परिवर्तन किया जा रहा है तथा अभ्यर्पित / निरस्त किये जाने वाले टैन का भी प्रमाण प्रस्तुत करें। आवेदक टैन के प्रमाण के रूप में आईटीडी से प्राप्त टैन आबंटन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक के पास टैन आबंटन पत्र नहीं है तो वह www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com में उपलब्ध टैन सर्च सुविधा का उपयोग करते हुए टैन विवरण का प्रिंट आउट प्रस्तुत कर सकता है।

ड.) यदि आवेदक का पता बदलकर दूसरा शहर हो जाता है और नया पता भिन्न आरसीसी (आयकर विभाग का क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्र) के अंतर्गत आता है तो आवेदक को फॉर्म सं. 49बी में नये टैन के लिए आवेदन करना चाहिए। आरसीसी बनाम शहर विवरण के लिए कृपया www.tin-nsdl.com देखें।

च) 'भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम' फील्ड भरना अनिवार्य है, जहां भी लागू हो।

छ) आवेदक का पता भारतीय पता ही होना चाहिए।

| मद सं. | मद विवरण | फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | कटौतीकर्ता की श्रेणी | कटौतीकर्ता फॉर्म में मद 2(क) से (ज) तक उपयुक्त श्रेणी को टिक करेगा। |
| 2(क) | नाम - केन्द्र / राज्य सरकार | केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता इस फील्ड में नाम भरेंगे। कार्यालय का नाम अनिवार्य है। संगठन/ विभाग / मंत्रालय का नाम संबंधित विवरण के साथ भरा जाए।<br><br>उदाहरण के लिए, यदि **आयकर विभाग में आयकर निदेशालय** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **(पद्धति)** टैन के लिए आवेदन कर रहा है तो वह नाम फील्डों को निम्नलिखित रूप में भरेगा:<br><br>**कार्यालय का नाम** : आयकर निदेशालय (पद्धति)<br><br>**संगठन का नाम** : आयकर विभाग<br><br>**विभाग का नाम** : राजस्व विभाग<br><br>**मंत्रालय का नाम** : वित्त मंत्रालय<br><br>केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी (केन्द्र सरकार) या स्थानीय प्राधिकारी (राज्य सरकार) के लिए संबंधित बॉक्स में टिक कर अपनी उपयुक्त प्रविष्टि का चयन करेंगे। |
| 2(ख) | नाम - सांविधिक / स्वायत्त निकाय | कार्यालय का नाम अनिवार्य है।<br><br>सांविधिक निकाय / स्वायत्त निकाय के लिए संबंधित बॉक्स में कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता द्वारा टिक किया जाए।<br><br>उदाहरण के लिए, यदि **भारतीय जीवन बीमा निगम का बान्द्रा कार्यालय** टैन के लिए आवेदन कर रहा है तो वह नाम फील्डों को निम्नलिखित रूप में भरेगा:<br><br>**कार्यालय का नाम** : भारतीय जीवन बीमा निगम, बान्द्रा<br><br>**संगठन का नाम** : भारतीय जीवन बीमा निगम<br><br>सांविधिक निकाय / स्वायत्त निकाय कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता की श्रेणी संबंधित बॉक्स में टिक कर अपनी उपयुक्त प्रविष्टि का चयन करेगी। |
| 2(ग) | नाम - कंपनी | यदि कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता एक कंपनी (अर्थात् एक बैंक) है तो यह प्वाइंट लागू है। 'कंपनी का नाम' भरना अनिवार्य है। यह श्रेणी कंपनी द्वारा भरी जानी चाहिए, यदि वह समग्र रूप में कंपनी के लिए टैन के लिए आवेदन कर रही है। यदि कंपनी विभिन्न डिविजनों / शाखाओं के लिए अलग-अलग टैन के लिए आवेदन करना चाहती है तो प्वाइंट 1(घ) भरा जाना चाहिए।<br><br>नाम में कोई संक्षेपाक्षर नहीं होना चाहिए, उदाहरण के लिए, 'प्राइवेट लिमिटेड' को प्रा. लि., प्राइवेट लि., प्रा. लिमिटेड, पी लि., पी. लि.आदि रूप में लिखने की अनुमति नहीं है। यह 'प्राइवेट लिमिटेड' या 'लिमिटेड' ही होना चाहिए। |

| | | |
|---|---|---|
| | | **कंपनी का नाम** : एबीसी प्राइवेट लिमिटेड<br><br>कंपनी की श्रेणी. कटौतीकर्ता 'केन्द्र सरकार की कंपनी / केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम' या 'राज्य सरकार की कंपनी / राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम' या 'कोई अन्य कंपनी' के लिए संबंधित बॉक्स के सामने टिक कर अपनी उपयुक्त श्रेणी का चयन करेगा। |
| 2(घ) | कंपनी की शाखा | यदि कंपनी की शाखा / डिविजन अपने अलग टैन के लिए आवेदन कर रही है तो वह इस फील्ड में शाखा (जिसके नाम में टैन चाहा गया है) के नाम तथा स्थान का उल्लेख करेगी। अलग टैन के लिए आवेदन करने वाली कंपनी की विभिन्न शाखाएं इस फील्ड को भरेंगी।<br><br>उदाहरण के लिए अंधेरी में स्थित एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का सीमेंट डिविजन निम्नलिखित रूप में भरेगा :<br><br>**कंपनी का नाम** : एबीसी प्राइवेट लिमिटेड<br><br>**डिविजन का नाम** : सीमेंट डिविजन<br><br>**शाखा का नाम / स्थान** : अंधेरी शाखा<br><br>अथवा<br><br>एबीसी बैंक ऑफ इंडिया - नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा :<br><br>**कंपनी का नाम** : एबीसी बैंक ऑफ इंडिया<br><br>**डिविजन का नाम** :<br><br>**शाखा का नाम / स्थान** : नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई<br><br>कंपनी की श्रेणी. कटौतीकर्ता 'केन्द्र सरकार की कंपनी / केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम' या 'राज्य सरकार की कंपनी / राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम' या 'कोई अन्य कंपनी' के लिए संबंधित बॉक्स के सामने टिक कर अपनी उपयुक्त श्रेणी का चयन करेगा। |
| 2(ङ) | नाम - व्यक्ति / हिन्दू अविभक्त | पहला नाम अनिवार्य है. कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता का पूरा नाम लिखा जाना चाहिए, न कि संक्षिप्त रूप में। अपवाद स्वरूप, बहुत बड़े मध्य नामों को संक्षिप्त किया जा सकता है। नाम से पहले श्री, श्रीमती, सुश्री, कुमारी, स्वर्गीय, मेजर, डॉ. आदि नहीं लगाये जाने चाहिए। यदि नाम से पहले |

| | | |
|---|---|---|
| | परिवार (कर्ता) | उपाधि लगायी जाती है तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तथापि श्री, श्रीमती तथा कुमारी के लिए उपयुक्त बॉक्स को टिक किया जाए:<br><br>व्यक्ति / एचयूएफ (कर्ता) को अपने पूरे विस्तारित नाम का उल्लेख करना चाहिए और अंतिम, मध्य तथा प्रथम नाम के लिए उपयुक्त फील्ड को भरना चाहिए। उदाहरण के लिए, जसजीत सिंह आनंद को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा:<br><br>**अंतिम नाम / कुलनाम     प्रथम नाम     मध्य नाम**<br><br>गर्ग     दिनेश     कुमार<br><br>अथवा, यदि मध्य नाम नहीं है, उसे खाली छोड़ा जाएगा. उदाहरण के लिए, गुंजन बंसल को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा:<br><br>**अंतिम नाम / कुलनाम     प्रथम नाम     मध्य नाम**<br><br>बंसल     गुंजन<br><br>यदि एकल स्वामी / एचयूएफ अपने समस्त व्यवसाय के लिए अपने नाम में एकल टैन प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस फील्ड में अपना नाम भरना चाहिए।<br><br>कटौतीकर्ता संबंधित बॉक्स में टिक कर अपनी उपयुक्त प्रविष्टि (अर्थात् व्यक्ति / हिन्दू अविभक्त परिवार) का चयन करेगा. व्यक्ति श्री, श्रीमती, कुमारी के लिए संबंधित बॉक्स में टिक कर अपनी उपयुक्त प्रविष्टि का चयन करेगा. एचयूएफ उपर्युक्त फील्डों को खाली छोड़ेगा। |
| 2(च) | वैयक्तिक व्यवसाय (एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान) / हिन्दू अविभक्त परिवार (कर्ता) की शाखा | इस फील्ड को तभी भरा जाए जब वैयक्तिक व्यवसाय (एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान) / हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) की शाखा के लिए टैन हेतु आवेदन किया जा रहा है।<br><br>ऊपर दिये गये अन्य शीर्षक (डॉ., स्वर्गीय, श्रीमती आदि) से संबंधित नियम यहां भी लागू होंगे।<br><br>यदि व्यक्ति / एचयूएफ अपने विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग-अलग टैन प्राप्त करना चाहता है तो यह श्रेणी लागू होगी। अतएव प्रतिष्ठान का नाम शाखा के नाम / स्थान के लिए फील्ड में भरा जाएगा। शाखा का नाम संबंधित फील्ड में एंटर किया जाना चाहिए।<br><br>उदाहरण के लिए |

| | | |
|---|---|---|
| | | **अंतिम नाम / कुलनाम प्रथम नाम मध्य नाम**<br><br>आनंद जसजीत सिंह<br><br>**शाखा का नाम / स्थान** : चंदन बुक स्टाल<br><br>कटौतीकर्ता व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए संबंधित बॉक्स के सामने टिक कर अपनी उपयुक्त श्रेणी (अर्थात् व्यक्ति / हिन्दू अविभक्त परिवार) का चयन करेगा। |
| 2 (छ) | फर्म / व्यक्तियों का संघ / व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट) / व्यक्तियों का निकाय/ कृत्रिम विधिक व्यक्ति | फर्म / व्यक्तियों का संघ / व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट) / व्यक्तियों का निकाय/ कृत्रिम विधिक व्यक्ति का नाम इस फील्ड में पूर्ण रूप से लिखा जाएगा। |
| 2(ज) | फर्म / व्यक्तियों का संघ / व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट) / व्यक्तियों का निकाय/ कृत्रिम विधिक व्यक्ति की शाखा | यदि किसी फर्म की विभिन्न शाखाएं अलग - अलग टैन के लिए आवेदन कर रही हैं तो यह श्रेणी लागू होगी। फर्म/ व्यक्तियों के संघ आदि के नाम में शाखा का विवरण शामिल होगा. शाखा का नाम संबंधित फील्ड में एंटर किया जाना चाहिए।<br><br>**फर्म का नाम** : शाह एंड कंपनी<br><br>**शाखा का नाम / स्थान** : फोर्ट शाखा |
| 3(क) | पता | कटौतीकर्ता उस स्थान के पते का उल्लेख करेगा जहां कर काटा जा रहा है। टैन आबंटन पत्र तथा भावी पत्रादि इस फील्ड में दिये गये पते पर भेजे जाएंगे। कटौतीकर्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह फ्लैट / द्वार / ब्लॉक नंबर का उल्लेख करे। शेष तीन फील्डों में से कटौतीकर्ता को कम से कम एक फील्ड भरना चाहिए. कस्बा / शहर / जिला, राज्य तथा पिन कोड अनिवार्य है। |
| 3(ख) | टेलीफोन नंबर और ई-मेल | यदि टेलीफोन नंबर दिया गया है तो एसटीडी कोड अनिवार्य है। मोबाइल नंबर के मामले में देश के कोड को एसटीडी कोड लिखा जाए। |

| | | |
|---|---|---|
| | आईडी | एसटीडी कोड टेलीफोन नं.<br><br>9 1 \| \| \| \| \| 9 8 2 0 0 1 1 1 1 5<br><br>**जहां '91' भारत का देश कोड है।**<br><br>तथापि, डब्ल्यूएलएल फोन (अर्थात् रिलायंस, टाटा इंडीकॉम आदि) के मामले में कटौतीकर्ता एसटीडी कोड का उल्लेख करेगा।<br><br>सुझाव है कि आवेदक अपने टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आईडी का उल्लेख करें ताकि आवेदन फॉर्म में किसी विसंगति के मामले में उनसे संपर्क किया जा सके।<br><br>आवेदकों को ई-मेल के जरिए अपने आवेदन की स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अपना वैध ई-मेल आईडी देना चाहिए। |
| 4. | कटौतीकर्ता की राष्ट्रीयता | यह फील्ड सभी श्रेणी के कटौतीकर्ताओं के लिए अनिवार्य है। |
| 5. | स्थायी लेखा संख्या (पैन) | कटौतीकर्ता उसे आबंटित 10 अंकीय स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है, का उल्लेख करेगा, अन्यथा इस फील्ड को खाली छोड़ देगा। |
| 6. | आपको असावधानी से आबंटित अन्य कर कटौती संख्या (टैन) का उल्लेख करें | फॉर्म के ऊपरी हिस्से में फाइल किये गये टैन (कटौतीकर्ता द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त टैन) से भिन्न असावधानी से आबंटित सभी टैन का उल्लेख उनके अभ्यर्पण तथा निरसन के लिए किया जाना चाहिए। कृपया आपको असावधानी से आबंटित टैन का प्रमाण, जैसे आईटीडी से टैन आबंटन पत्र या आईटीडी वेबसाइट पर टैन सर्च स्क्रीन का स्क्रीन प्रिंटआउट प्रस्तुत करे। |

<u>टैन आवेदकों के लिए सामान्य जानकारी</u>

**टैन आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए टिन - एफसी को अदा किये जाने वाला शुल्क 55.00 ₹ (+ लागू सेवा कर) है।**

कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को फॉर्म 49बी प्रस्तुत करने पर 14 अंकों की एक विशिष्ट संख्या से युक्त पावती प्राप्त होगी। कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाने के लिए इस पावती संख्या का प्रयोग कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए

**हमारी वेबसाइट http:\\ www.tin-nsdl.com देखें।**

पैन/टीडीएस कॉल सेन्टर में 020 - 2721 8080 पर फोन करें.
ई-मेल करें : tininfo@nsdl.co.in

एसएमएस करें NSDLTAN <स्थान छोड़े> 14 अंको की प्राप्ति सूचना नंबर टाइप करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए 57575 पर भेज दें।

लिखें : **एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**
**5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग,**
**प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,**
**मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास,**
**पुणे – 411 016.**